



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1033]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 16, 2015/वैशाख 26, 1937

No. 1033]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 16, 2015 /VAISAKHA 26, 1937

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2015

का.आ. 1314(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि इसके साथ उपाबद्ध स्थल मानचित्र और अनुसूची में विनिर्दिष्ट आगा खान की हवेली, बसई मुस्तकिल ताजगंज, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश राज्य, राष्ट्रीय महत्व का है;


अब इसलिए प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार उक्त स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने इरादे का इसके द्वारा नोटिस देती है;

उक्त स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए कोई आपत्ति महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली, 110011 को राजकीय राजपत्र में इस अधिसूचना को जारी किये जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर उक्त स्मारक में रूचि लेने वाले किसी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जिस पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थान	स्मारक का नाम	संरक्षण में शामिल राजस्व खसरा नम्बर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	स्वामित्व	सीमाएं तथा खसरा संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर प्रदेश	आगरा	सदर	बसई मुस्तकिल ताजगंज	आगा खॉ की हवेली	खसरा नम्बर 55, 56, 57, 58.	1.199 हेक्टेयर	(खसरा नम्बर 55, 57, 58) उत्तर प्रदेश सरकार (खसरा नम्बर 56 वन विभाग)	उत्तर: यमुना नदी दक्षिण: खसरा नम्बर 49, 50, 51, 54. पूर्व: खसरा नम्बर 59, 63, 64. पश्चिम: खसरा नम्बर 49.

[फा. सं. 2-8/2014-एम]
राकेश तिवारी, महानिदेशक



MINISTRY OF CULTURE
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2015

S.O. 1314(E).—Whereas, the Central Government is of the opinion that, the ancient monument namely, Haveli of Agah Khan, Mauza Basai Mustkil (Tajganj), District Agra, State of Uttar Pradesh, specified in the site plan and the Schedule annexed hereto, is of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said monument to be of national importance;

Objection, if any, to the declaration of the said ancient monument to be of national importance may be made to the Director General, Archaeological Survey of India, Janpath, New Delhi, 110011 within a period of two months from the date of issue of this notification, by any person interested in the said monument which will be taken into consideration by the Central Government.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of monument	Revenue plot number to be included under protection	Area in hectare	Ownership	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Uttar Pradesh	Agra	Sadar	Mauza Basai Mustkil (Tajganj)	Haveli of Agah Khan	Khasra number 55, 56, 57, 58	1.199 hectare	Khasra number 55, 57, 58 Government of Uttar Pradesh (Forest Department, Khasra number 56)	North: Yamuna River. South: Khasra number 49, 50, 51, 54 East: Khasra number 59, 63, 64 West : Khasra number 49

[F. No. 2-8/2014-M]

RAKESH TEWARI, Director General



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1033]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 16, 2015/वैशाख 26, 1937

No. 1033]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 16, 2015/VAISAKHA 26, 1937

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2015

का.आ. 1314(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि इसके साथ उपाबद्ध स्थल मानचित्र और अनुसूची में विनिर्दिष्ट आगा खान की हवेली, बसई मुस्तकिल ताजगंज, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश राज्य, राष्ट्रीय महत्व का है;

अब इसलिए प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने इरादे का इसके द्वारा नोटिस देती है;

उक्त स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए कोई आपत्ति महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली, 110011 को राजकीय राजपत्र में इस अधिसूचना को जारी किये जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर उक्त स्मारक में रूचि लेने वाले किसी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जिस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।